न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 5 गाजियाबाद।
उपस्थित- पवन कुमार शर्मा, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O.Code No. 2735
सत्र परीक्षण संख्या–89/2021
कंप्यूटर रजस्ट्रेशन नंबर - 331/20
CNR No.UPGZ0

राज्य बनाम अंकुर आदि

मु०अ०सं०-471/2020
धारा-323,504,498A,304B भारतीय दंड संहिता,
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना- सिहानीगेट,जिला-गाजियाबाद।

**निस्तारण प्रार्थनापत्र 9 ख. अन्तर्गत धारा-227 द.प्र.स.**

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण- अंकुर, सुभाष एवं श्रीमती रेशा द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-227 द.प्र.स. आरोप से उन्मोचन हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि ,वादी मुकदमा देवेन्द्र पुत्र रामकिशन द्वारा दिनांक-17-02-2020 समय 00.00 की कथित घटना के सम्बन्ध में दिनांक-17-02-2020 को समय 23.00 बजे थाना सिहानीगेट पर मुकदमा अपराध संख्या-471/2020 अन्तर्गत धारा-323, 504,498A, 304B भा.द.स. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना-सिहानीगेट, जिला- गाजियाबाद में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कराया है। वादी मुकदमा द्वारा जो तहरीर थाना-हाजा पर इस सम्बन्ध में दी गयी है, उसके आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कथित धाराओं का कोई मामला नहीं बनता है। तहरीर में मृतका स्वांति से किसी प्रकार की कोई दहेज की माँग किये जाना उल्लखित नहीं किया गया है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान संकलित किये गये साक्ष्य से भी प्रथमदृष्टया उक्त धाराओं का मामला नहीं बनता है। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा केस डायरी में अंकित किये गये मृतका के चाचा राजेन्द्र,माता श्रीमती मल्लो, भाई बिट्टू एवं शादी में बिचौलिया रहे रमेश सैनी ने विवेचक के सामने यह कथन किया है कि उन्होंने शादी में होण्डा साइन मोटर साइकिल दी थी तथा प्रार्थी/अभियुक्तगण अपाचे मोटर साइकिल की माँग कर रहे थे, जिसके कारण मृतका को तंग व परेशान किया जाता था, पूर्णतया गलत है और मात्र धारा-498A, 304B भा.द.स. के अपराध का गठन करने के लिए ही कहे गये हैं। प्रार्थी अंकुर का अफेयर राधा नाम की लड़की से होने का तथ्य भी विवेचक द्वारा तसदीक होना नहीं पाया गया । मृतका प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के संयुक्त परिवार से अलग रहना चाहती थी इसीकारण मानसिक तनाव में रहती थी और तनाव की वजह से बिना किसी को बताये स्वयं को कमरे में बंद कर लिया तथा कुन्दे से लटक कर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना स्वयं प्रार्थी/अभियुक्त की बहन सोनम द्वारा 100 नम्बर पर कॉल करके पुलिस को दी गयी है जिसके उपरान्त मौके पर पहुँचे काँ० नरेश कुमार व एस.आई. विपिन कुमार द्वारा दरवाजा तोड़ कर स्वांति को कुन्दे से उतारा गया, अन्दर एक छोटी बच्ची भी थी। उक्त पुलिस कर्मियों के बयान सी.डी. के पर्चा सं.1 में दिनांक-18-02-2020 को अंकित किये गये हैं।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा ही उक्त घटना की सूचना मृतका के पिता वादी मुकदमा को दी गयी है, मृतका के पंचायतनामा के समय प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की मोजूदगी है। वादी मुकदमा एवं उसके अन्य परिजनों की मौजूदगी में मृतका का अंतिम संस्कार मृतका के पति प्रार्थी/अभियुक्त अंकुर द्वारा किया गया है, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि घटना के बाद भी प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का व्यवहार सामान्य रहा है। धारा-113 बी. साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध नहीं है। मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर गर्दन के लिंगेचर मार्क के अलावा शरीर के अन्य किसी भाग पर जाहिरा चोट नहीं है तथा मृत्यु का कारण भी Asphxia as a result of Antemortem Hanging दर्शाया गया है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा स्वतन्त्र साक्षी श्रीमती मधु मिश्रा, भूरा एवं शिवम का बयान सी.डी. के पर्चा संख्या-14 में दिनांक-02-05-2020 को अंकित किया है। दौरान विवेचना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध ऐसा कोई वैधानिक साक्ष्य नहीं आया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा मृतका को दहेज की माँग के लिए प्रताड़ित किया गया हो तथा मृत्यु से पूर्व मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य अधिनियम के तहत उक्त धाराओं के तहत अपराध सृजप करने के लिए उपधारणा भी नहीं है। विवेचक द्वारा जो भी साक्ष्य संकलन किया गया है उसके आधार पर अभियुक्तगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध आरोप का निर्धारण किया जाकर उक्त धाराओं के तहत ट्रायल शुरू किया जाना न्याय संगत नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उक्त मामले में आरोप से उन्मोचित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना की गयी है कि अभियुक्तगण-अंकुर,सुभाष एवं श्रीमती रेशा को एस.टी. सं.89/21 मु.अ.स.471/2020 में आरोप धारा-323, 504, 498A, 304B भा.द.स. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना- सिहानीगेट, जिला- गाजियाबाद से उन्मोचित किया जाय।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) की ओर से इस पर लिखित आपत्ति दिनांकित–13–05–2022 दाखिल कर कहा गया है कि वादी मुकदमा देवेन्द्र पुत्र रामकिशन द्वारा कथित घटना के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर दिनांकित–17–02–20 एवं वादी मुकदमा द्वारा दिए गये बयानों के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध कथित धाराओं के तहत मामला बनता है। तहरीर एवं सी०डी० में दर्ज किये गये बयानों के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री मृतका स्वांति से दहेज में अपाचे मोटर साइकिल की माँग किये जाने का उल्लेख है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को गिरफतार करके विवेचक द्वारा जेल भेजा गया है तथा विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन करके के बाद न्यायालय के समक्ष उचित धाराओं में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है और प्रथमदृष्टया अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत मामला बनना पाया जाता है।

विवेचक द्वारा सी.डी. पर्चा सं.1 में अंकित किये गये वादी मुकदमा देवेन्द्र के बयानों में घटना का समर्थन करते हुए बताया है कि, '' मैंने नोटबन्दी के दौर में अपनी बेटी स्वांति की शादी दिनांक–22–01–2017 को अंकुर पुत्र सुभाष निवासी घूंकना थाना सिहानीगेट के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार की थी तथा शादी में अपनी हैसियत के अनुसार होण्डा शाइन मोटर साइकिल एवं गृहस्थी का सभी सामान देकर की थी। शादी के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठाक रहा परन्तु शादी के कुछ समय बाद लगभग 4 माह बाद मेरी बेटी स्वांति के पति अंकुर उसकी सास रेशा व ससुर मेरी बेटी को ताने देते थे कि हमें तो अपाचे मोटर साइकिल चाहिए थी परन्तु तेरे

बाप ने होण्डा शाइन दी है। यह बात मेरी बेटी ने घर आकर बतायी थी, इस पर हम लोगों ने समझाा कि हम अपनी हैसियत से भी ज्यादा पहले ही शादी में आपको दे चुके हैं परन्तु फिर भी ये लोग नहीं माने और आये दिन मेरी बेटी स्वांति से उसका ससुर, पति, सास मारपीट एवं गाली गलौज करते रहे और दहेज में अपाचे मोटर साइकिल की माँग करते रहे।'' विवेचक द्वारा दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन में वादी मुकदमा देवेन्द्र का बयान सी.डी. पर्चा नं.1 में दिनांक–18–02–2020 को, मृतका स्वांति के चाचा राजेन्द्र का बयान दिनांक–17–03–2020 को सी.डी. पर्चा नं. 8 में, मृतका स्वांति की माता श्रीमती मल्लो का बयान दिनांक–117–03–2020 को पर्चा नं.8 में मृतका स्वांति के भाई बिट्टू, जो तहरीर लेखक भी है, का बयान सी.डी. के पर्चा सं.16 में दिनांक–12–05–2020 को, घटना के समर्थन में बयान दिया है तथा वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर में मृतका स्वांति के पति अभियुक्त अंकुर का अफेयर राधा नाम की लड़की से होने का उल्लेख् किया है। अभियुक्तगण द्वारा मृतका स्वांति दहेज की माँग के लिए प्रताडित किया गया है तथा मृत्यु से पूर्व मृतका स्वांति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, यह बात मृतका स्वांति ने मरने से पूर्व, जब वह मायके में आयी थी, तब अपने मायके वालों को बतायी थी। विवेचनाधिकारी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सही आरोप–पत्र दाखिल किया गया है तथा आरोप–पत्र की धाराओं के अन्तर्गत आरोप लगाये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। अभियुक्तगण द्वारा दिया गया उन्मोचन प्रार्थनापत्र कानूनी रूप से प्रगतिशील नहीं है। मृतका स्वांति की मृत्यु शादी के सत वर्ष के अन्दर हुई है। अतः अभियुक्तगण का उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त कर अभियुक्तगण–अंकुर, सुभाष श्रीमती रेशा को एस०टी० नं० 89/21 मु.अ.स.471/20 धारा–323,504,498A, 304B भा.द.सं. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, के आरोप लगाये जाने की प्रार्थना की गयी।

मैंने विद्वान अपर जिला सहायक अधिवक्ता ( दाण्डिक) तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि, वादी मुकदमा द्वारा घटना के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर में वादी की पुत्री मृतका स्वांति से किसी प्रकार की कोई दहेज की माँग किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। केस डायरी में अंकित किये गये वादी मुकदमा देवेन्द्र पिता मृतका, राजेन्द्र चाचा, श्रीमती मल्लो, भाई बिट्टू एवं शादी के बिचौलिया रहे रमेश सैनी ने केवल बयान धारा-304,498 भा.द.स. के अन्तर्गत अपराध गठित किये जाने के आशय से दिये हैं। मृतका के शरीर पर लिंगेचर मार्क के अलावा अन्य किसी भाग पर जाहिरा चोट नहीं पायी गयी है तथा मृत्यु का कारण Asphxia as a result of Antemortem Hanging दर्शाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध ऐसा कोई वैधानिक साक्ष्य नहीं है कि मृतका को दहेज की माँग के लिए प्रताड़ित किया गया हो, प्रार्थीगण द्वारा आरोपित अपराध के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोप से उन्मोचित किया जाने की प्रार्थना की है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था- मिर्जा इकबाल उर्फ गोलू आदि बनाम उ०प्र० राज्य क्रि० अपील 1628/21 निर्णय दिनांकित-14-12-2021 पर विश्वास व्यक्त किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) का तर्क है कि विवेचक द्वारा संकलित की गयी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप-पत्र सही धाराओं में प्रेषित किया गया है। मृतका के पिता देवेन्द्र ने केस डायरी के पर्चा नं.1 '' मैंने नोटबन्दी के दौर में अपनी बेटी स्वांति की शादी दिनांक–22–01–2017 को अंकुर पुत्र सुभाष निवासी घूंकना थाना सिहानीगेट के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार की थी तथा शादी में

अपनी हैसियत के अनुसार होण्डा शाइन मोटर साइकिल एवं गृहस्थी का सभी सामान देकर की थी। शादी के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठाक रहा परन्तु शादी के कुछ समय बाद लगभग 4 माह बाद मेरी बेटी स्वांति के पति अंकुर उसकी सास रेशा व ससुर मेरी बेटी को ताने देते थे कि हमें तो अपाचे मोटर साइकिल चाहिए थी परन्तु तेरे बाप ने होण्डा शाइन दी है। यह बात मेरी बेटी ने घर आकर बतायी थी, इस पर हम लोगों ने समझाया कि हम अपनी हैसियत से भी ज्यादा पहले ही शादी में आपको दे चुके हैं परन्तु फिर भी ये लोग नहीं माने और आये दिन मेरी बेटी स्वांति से उसका ससुर, पति, सास मारपीट एवं गाली गलौज करते रहे और दहेज में अपाचे मोटर साइकिल की माँग करते रहे।'' इसी प्रकार के बयान अन्य साक्षीगण राजेन्द्र, श्रीमती मल्लो, बिट्टू एवं रमेश सैनी द्वारा दिये गये है, जिनके आधार पर प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरूद्ध 498A,304B,323,504 भा.द.स. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप लगाये जाने का पर्याप्त आधार है।

मैंने पत्रावली का सम्यक् रूप से अवलोकन किया। केस डायरी के पर्चा नं.1 पर वादी मुकदमा इसी प्रकार का साक्ष्य विवेचक द्वारा मृतका के चाचा राजेन्द्र,माता श्रीमती मल्लो, भाई बिट्टू एवं शादी में बिचौलिया रहे रमेश सैनी के अंकित किये गये बयानों में आया है, जिन्होंने विवेचक के सामने यह कथन किया है कि उन्होंने शादी में होण्डा साइन मोटर साइकिल दी थी तथा प्रार्थी/अभियुक्तगण अपचो मोटर साइकिल की माँग कर रहे थे। जिसके कारण मृतका को तंग व परेशान किया जाता था। इस प्रकार का साक्ष्य दिये जाना अभियुक्तगण ने प्रार्थनापत्र में भी स्वयं स्वीकार किया है।

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत नजीर मिर्जा इकबाल उर्फ गोलू आदि बनाम उ.प्र. राज्य आदि के तथ्य प्रस्तुत मामले पर लागू नहीं होतें हैं क्योंकि उक्त मामले में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट दाखिल की थी परन्तु प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **स्टेट आफ बिहार बनाम रमेश सिंह (1977)4 SCC 39** में विधि व्यवस्था दी है कि, ''आरोप विरचित करते समय न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अनुक्रम में यह देखना है कि क्या प्रथमदृष्टया अपराध बनता है अथवा नहीं।

वहीं माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सोमा चक्रवर्ती बनाम राज्य ए.आई.आर. 2007SC 2199** में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि ,'' यदि पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर न्यायालय यह निष्कर्ष ले पाने में सक्षम हो कि कदाचित अभियुक्त ने उक्त अपराध किया होगा तब उक्त अपराध के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जा सकता है, यद्यपि अभियुक्त को दोष सिद्धि हेतु निश्चित रूप से उक्त आरोप सन्देह से परे अभियुक्त के विरूद्ध सिद्ध किया जाना चाहिए। आरोप विरचित करने के स्तर पर पत्रावली पर विद्यमान सामग्री की प्रमाणिकता परीक्षित नहीं की जानी चाहिए, बल्कि न्यायालय को आरोप विरचित करने हेतु ऐसी सामग्री के सम्बन्ध में न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अभियुक्त की वास्तविक भूमिका एवं उसके द्वारा अपराध कारित किये जाने का विनिश्चयन साक्ष्य के उपरान्त विचारण पर ही किया जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की नवीनतम विधि व्यवस्था- **भावनाबाई बनाम घनश्याम ए.आई.आर. 2020 SC 554: AIR online 2019 SC1671)** में यह अवधारित किया है कि आरोप के स्तर पर मात्र प्रथमदृष्टया वाद देखना चाहिए।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा पोस्टमार्टम के आधार पर यह कहना कि लिंगरेचर मार्क के अतिरिक्त मृतका के शरीर पर अन्य कोई जाहिरा चोट नहीं है, इन सभी तथ्यों का निराकरण परीक्षण के समय साक्ष्य आने पर ही किया जा सकता है। उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में वर्तमान प्रकरण का अर्द्धपरीक्षण नहीं किया जा

सकता है। मृतका की मृत्यु असमान्य परिस्थितियों में विवाह के सात वर्ष की अवधि के अन्तर्गत, अभियुक्तगण के घर पर हुई है, जिसके सम्बन्ध में विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य संकलित किया गयाहै।

उपरोक्त विवेचना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की दी गयी विधि व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में यह न्यायालय इस मत का है कि अभियुक्तगण का प्रार्थनापत्र का. सं 9 ख. निरस्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

अभियुक्तगण -अंकुर, सुभाष, श्रीमती रेशा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 9 ख. अन्तर्गत धारा-227 द. प्र. स., निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक-17-05-2022 को पेश हो।

(पवन कुमार शर्मा),

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 5,गाजियाबाद।